

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- प2(1645)/सूप्रौ/संस्था/2013/01755/2024

जयपुर, दिनांक 20/05/2024

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प9(2)/(59)/कार्मिक/क-3/97/पार्ट-1 दिनांक 23.07.2001 की अनुपालना में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम व पद	समिति
1.	श्रीमती श्वेता सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मुनेश लाम्बा, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	सदस्य
3.	प्राधानाचार्य, कनोडिया कॉलेज, जयपुर	विशिष्ट सदस्य
4.	श्री राजेश असावा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	सदस्य

यह समिति विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 श्रीमती श्वेता सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 श्रीमती मुनेश लाम्बा, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 5 प्राधानाचार्य, कनोडिया कॉलेज, जयपुर।
- 6 श्री राजेश असावा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 7 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष